

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या Q3/2024 (म्युनिसिपल अपील)
मोहम्मद अशरफ कुरेशी पुत्र अब्दुल रशीद प्रोपराईटर मैसर्स मोहम्मद मीट शॉप दुकान नम्बर
2, सुखपुरिया गांव, इण्डिया गेट, सांगानेर, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, दीन दयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टॉक रोड, जयपुर ।
2. उपायुक्त पशु प्रबन्धन, नगर निगम ग्रेटर, पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टॉक रोड, जयपुर ।

रेसपोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 269 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009
विरुद्ध नोटिस क्रमांक 233 दिनांक 01.10.2024 एवं आदेश क्रमांक 249
दिनांक 23.10.2024 को निरस्त करने बाबत ।



उपस्थित :-

1. श्री दीपक स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से की ओर से ।
2. श्री पुष्पेन्द्र कुमार भारद्वाज अधिवक्ता रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28.11.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (पशु प्रबन्धन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 233 दिनांक 01.10.2024 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है ।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये । रेसपोडेन्ट्स की ओर श्री पुष्पेन्द्र कुमार भारद्वाज ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिनांक 21.06.2024 को पाडा मीट लाईसेन्स क्रमांक 1624 तथा मुर्गा मीट लाईसेन्स क्रमांक 1628 अपीलार्थी के हक में नियमानुसार जारी किया गया । अनुज्ञापत्र में वर्णित समस्त शर्तों की अपीलार्थी द्वारा पालना की जा रही है, इसके अलावा भी (SOP) में वर्णित शर्तों की भी विधिवत रूप से पालना की जा रही है । गैर अपीलार्थी संख्या 2 के द्वारा अपीलार्थी को विधिक रूप से लाईसेन्स जारी किये जाने के पश्चात नाजायज रूप से हैरान व परेशान करने की गरज से दिनांक 29.08.2024 को जरिये रसीद 10,000/-रूपये का कैरिंग चार्ज का चालान किया गया । जबकि नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत इतनी राशि का चालान कानूनन नहीं किया जा सकता है । रेसपोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने की

जिला कलक्टर
जयपुर




गरज से दिनांक 01.10.2024 को सूचना पत्र नोटिस क्रमांक 233 जारी किया गया है वह भी पूर्णतया अवैधानिक है तथा गैर अपीलार्थी संख्या 2 की मंशा साफ जाहिर होती है कि गैर अपीलार्थी संख्या 2 के द्वारा अवैधानिक रूप से अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने की गरज से अनुचित व गैर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अपीलार्थी को विधिवत रूप से लाईसेन्स दिनांक 21.06.2024 को माह मार्च 2025 तक का जारी किया गया है। नियत अवधि समाप्ति पूर्व ही अनुचित व गैर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अपीलार्थी के पास उक्त दुकान के आलावा अन्य कोई आय का स्रोत व साधन नहीं है व अपीलार्थी के परिवार के पालन पोषण का केवल मात्र यही एक स्रोत है। यदि उक्त दुकान का लाईसेन्स निरस्त कर दिया गया तो अपीलार्थी व उसके परिवारजनों के समक्ष भूखे मरने की नोबत आ जावेगी तथा अपीलार्थी ने जो 1,50,000/-रूपये प्रति माह दुकान किराये पर 11 माह के लिए ली है, उसके किराये की लाखों रुपये की राशि चुकाने का अनावश्यक भार अपीलार्थी के ऊपर आ जायेगा, जिसको चुका पाना अपीलार्थी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि ना मुमकिन होगा और अपीलार्थी व उसके परिजनों के समक्ष घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जावेगा। अपीलार्थी द्वारा दुकान किराये पर लेने के पश्चात दुकान में फ्रीजर व अन्य सामान लगवाया, रंग रोगन करवाया, सुरक्षा की दृष्टि से सी सी टी वी कैमरे लगवाये इस प्रकार अपीलार्थी के करीब 4 लाख रुपये दुकान के मन्टीनेन्स व साजो सामान पर खर्च किये व इसके अलावा पाडे, मुर्गी, बकरे की खरीद हेतु एडवन्स करीब 5 लाख रुपये भी फार्मर को दिये हुये है। यदि अपीलार्थी के हक में जारी लाईसेन्स क्रमांक 1628 व 1624 दिनांक 21.06.2024 को यदि गैर कानूनी तरीके से निरस्त कर दिया गया तो अपीलार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से किया जाना सम्भव नहीं होगा। यही नहीं अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त फरमा दिया गया। अपीलार्थी के कथनों के समर्थन में शपथ भी प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त नोटिस को क्रमांक 233 दिनांक 01.10.2024 व अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण आदेश क्रमांक 249 दिनांक 23.10.2024 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

5. रैस्पोंडेन्ट की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर में मांस मीट विक्रय करने हेतु नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत नगर निगम ग्रेटर द्वारा प्रचलित अधिसूचना (SOP) अनुसार अपीलार्थी द्वारा दुकान संचालित नहीं किये जाने के कारण नोटिस क्रमांक 233 दिनांक 01.10.2024 को जारी किया गया था जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण आदेश क्रमांक 249 दिनांक 23.10.2024 अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस में नगर पालिका अधिनियम एवं नगर निगम ग्रेटर द्वारा प्रचलित अधिसूचना (SOP) अनुसार दुकान संचालित नहीं की जाने का आरोप लगाते हुये 03 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया है जिसमें (SOP) की





जिला कलेक्टर
जयपुर

किसी धारा या बिन्दू का उल्लंघन किया गया है, इसका कोई उल्लेख किया जाना नहीं पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विचारार्थी होने एवं अपील में नगर निगम के अधिकता के उपस्थित होने के बावजूद नोटिस का स्पष्टीकरण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का कथन करते हुये रेस्पॉन्डेंट संख्या 2 द्वारा आदेश क्रमांक 249 दिनांक 23.10.2024 को अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया। स्पष्टीकरण पेश करने हेतु जारी नोटिस दिनांक 01.10.2024 में केवल 03 दिन का समय दिया गया जो युक्ति युक्त समय नहीं माना जा सकता है। नगर निगम ग्रेटर द्वारा दिनांक 01.10.2024 को जारी नोटिस अपीलार्थी ने दिनांक 07.10.2024 को प्राप्त होने का कथन कर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.10.2024 को जवाब दिया गया है। जिसे बिना रिकार्ड पर लिये ही आदेश पारित किया गया है जो विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. उपायुक्त पशु प्रबन्धन नगर निगम जयपुर ग्रेटर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का युक्तियुक्त समय दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करे।
9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत, नगर निगम जयपुर ग्रेटर को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


 (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
 जिला कलेक्टर
 जयपुर